न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासन अधिकारी का नाम :—हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 484 **/2019**

1. परमजीत सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

—वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र श्री दीनदयाल जाति ब्राह्मण निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. अमरजीत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. रामप्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
4. सतपाल पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
5. तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 RTA

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :—

1 श्री जगनन्दन सिंह अधिवक्ता	वादीगण
2. श्री हरपाल सिंह अधिवक्ता	प्रतिवादी सं. 1, 3 व 4
3. राज पैरोकार	वास्ते स्टेट

निर्णय **दिनांक :** 6.1.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 1 बीएनडब्ल्यू के खाता संख्या 4/111 में प0न0 36/112के मु0न0 38 कि0न0 23ता25 सालम, प0न0 37/112 मु0न0 39 कि0न0 21 सालम, प0न0 44/112 मु0न0 46 के कि0न0 22 में 0.114 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता, प0न0 44/113 मु0न0 47 कि0न0 2 सालम कि0न0 3 में 0.177 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता, प0न0 38/113 मु0न0 53 कि0न0 18,23 सालम, प0न0 36/113 मु0न0 55 कि0न0 3 ता 5 सालम, प0न0 38/114 मु0न0 66 कि0न0 4 ता 6 मय नहरी खाला, प0न0 39/114 मु0न0 67 कि0न0 1 ता 3 सालम, 8 ता 10 सालम नहरी कुल क्षेत्रफल 5.098 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता खाला नहरी आराजी वादी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी के नाम 1.975 हैक्टर नहरी आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी ने प्रतिवादीगण से अपने नाम दर्ज उक्त आराजी का अन्य सहकाश्तकारान के साथ अर्सा पूर्व बंटवारा कर लिया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर

Scanned by CamScanner

था व तत्पश्चात आराजी वादी के हक व हिस्सा में आने पर बंटवारानूसार उक्त आराजी पर वादी काबिज काश्त चला रहा है वादीको मुताबिक बंटवारा अपने हक व हिस्सानुसार किला विशेष आराजी निम्न प्रकार से प्राप्त हुई है :– वादी को चक 1बीएनडब्ल्यू के खाता संख्या 4/111 के प0न0 36/112 मु0न0 38 कि0न0 23 ता 25 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता नहरी, प0न0 36/113 मु0न0 55 कि0न0 3 ता 5 सालम नहरी, प0न0 37/112 मु0न0 39 कि0न0 21 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता, प0न0 44/113 मु0न0 47 कि0न0 2 में 0.204 हैक्टर नहरी कुल क्षेत्रफल 1.975 हैक्टर नहरी आराजी कब्जा काश्त में चली आ रही है। आराजी राजस्व रिकार्ड में मुताबिक बंटवारानुसार दर्ज रिकार्ड नही होने के कारण एवं सांझा खाता में दर्ज रिकार्ड रहने के कारण वादी को काफी परेशानियों पानी की बारी, रकम अदायगी, बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, एवं आराजी संयुक्त खाता मे दर्ज रहने के कारण वादीअपने हक व हिस्सा की आराजी पर मन लगाकर काश्त कर पाने में असमर्थ व असहाय महसूस करता है जिस कारण वादी की मंद संख्या 3 में दर्ज आराजी अपने हक व हिस्सा की कब्जा काश्त किला विशेष आराजी का खाता अलग कायम करवा कर घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वादपत्र पेश कर निवेदन है कि :– वादी को चक 1बीएनडब्ल्यू के खाता संख्या 4/111 के प0न0 36/112 मु0न0 38 कि0न0 23 ता 25 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता नहरी, प0न0 36/113 मु0न0 55 कि0न0 3 ता 5 सालम नहरी, प0न0 37/112 मु0न0 39 कि0न0 21 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता, प0न0 44/113 मु0न0 47 कि0न0 2 में 0.204 हैक्टर नहरी कुल क्षेत्रफल 1.975 हैक्टर नहरी आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जावे व रेवेन्यू अलग से कायम की जावे। प्रतिवादीगण वादाधीन चक 1 बीएनडब्ल्यू के खाता संख्या 4/111 के प0न0 36/112 मु0न0 38 कि0न0 23 ता 25 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता नहरी, प0न0 36/113 मु0न0 55 कि0न0 3 ता 5 सालम नहरी, प0न0 37/112 मु0न0 39 कि0न0 21 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता, प0न0 44/113 मु0न0 47 कि0न0 2 में 0.204 हैक्टर नहरी कुल क्षेत्रफल 1.975 हैक्टर नहरी आराजी में वादी की कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये अखबारसाया तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा मय काउन्टर क्लैम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 को चक 1 बीएनडब्ल्यू के खाता संख्या 4/111 प0न0 38/114 मु0न0 66 के कि0न0 6 सालम, प0न0 39/114 मु0न0 67 के कि0न0 1 ता 3, 8 ता 10 में 1.518 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 1.771 हैक्टर नहरी आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जावे व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को चक 1 बीएनडब्ल्यू के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

4/111 प0न0 38/114 मु0न0 66 के कि0न0 4, 5 सालम, प0न0 38/113 मु0न0 53 के कि0न0 18, 23 सालम कुल क्षेत्रफल 1.012 हैक्टर नहरी आराजी का बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 की तलबी जरिये अखबारसाया होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद वादी ने उचित आदेश फरमाने की इस्तदुआ की।

बहस सुनी गयी, दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, वकील प्रतिवादीगण ने वादी के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की एवं काउंटर क्लेम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादी वादाधीन आराजी के रिकॉर्डड खातेदार काश्तकार है, वादी ने मुताबिक सहकाश्तकारन के साथ हुए बंटवारानामा अनुसार एवं स्वयं के हक हिस्सा की एवं वादी के हक हिस्सा की आराजी राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज रिकार्ड है एवं आराजी का खाता तकसीम एवं घोषणा का अनुतोष चाहा गया है जो कि वादी स्वयं के हक हिस्सा तक ही खाता तकसीम का अनुतोष चाह रहे है एवं वादी के अभिकथनों एवं कब्जा काश्त किला विशेष आराजी में प्रतिवादीगण ने ईकबाल कथन पेश कर वादी की कब्जा काश्त किला विशेष आराजी को स्वीकार किया है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपने–अपने किला विशेष आराजी को बखूबी साबित किया है, इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने दावा एवं प्रतिदावा दस्तावेजी साक्ष्यों अभिकथनों, इकबालकथनों एवं बहस से बखूबी साबित किया है, वाद वादी एवं काउंटर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– वादी को चक 1 बीएनडब्ल्यू के खाता संख्या 4/111 के प0न0 36/112 मु0न0 38 कि0न0 23 ता 25 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता नहरी, प0न0 36/113 मु0न0 55 कि0न0 3 ता 5 सालम नहरी, प0न0 37/112 मु0न0 39 कि0न0 21 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता, प0न0 44/113 मु0न0 47 कि0न0 2 में 0.204 हैक्टर नहरी कुल क्षेत्रफल 1.975 हैक्टर नहरी आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को चक 1 बीएनडब्ल्यू के खाता संख्या 4/111 प0न0 38/114 मु0न0 66 के कि0न0 6 सालम, प0न0 39/114 मु0न0 67 के कि0न0 1 ता 3, 8 ता 10 में 1.518 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 1.771 हैक्टर नहरी आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को चक 1 बीएनडब्ल्यू के खाता संख्या

Scanned by CamScanner

4/111 प0न0 38/114 मु0न0 66 के कि0न0 4, 5 सालम, प0न0 38/113 मु0न0 53 के कि0न0 18, 23 सालम कुल क्षेत्रफल 1.012 हैक्टर नहरी आराजी का बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

एवं उक्तानुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग–अलग कायम किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प डयूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड कृषिकार्य (राजस्व) सादुलशहर

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 17:03:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: